भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 355

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसान यूनियनों के साथ बैठक

355. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस वर्ष की शुरुआत में चंडीगढ़ में किसान यूनियनों के साथ हुई बैठक के प्रमुख परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने चर्चा के अनुसार एमएसपी गारंटी या फसल विविधीकरण पर कोई अनुवर्ती कार्य योजना जारी की है;

(ग) क्या गैर-धान फसलों की लागत और खरीद पर किसानों की चिंताओं का समाधान किया गया है;

(घ) क्या किसान समूहों के साथ बातचीत के लिए नए संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैठक में उठाए गए मुआवजे और फसल बीमा के मुद्दों के संबंध में अद्यतन जानकारी संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): इस वर्ष के आरंभ में चंडीगढ़ में किसान संगठनों के साथ तीन बैठकें हुईं। इन बैठकों में कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

(ख) और (ग): सरकार, वर्ष 2018-19 से सभी अधिसूचित फसलों के लिए उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित कर रही है। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में 6 वर्षीय "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों की तूअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद 4 वर्षों तक एम.एस.पी. पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, "कपास उत्पादकता मिशन" की भी घोषणा की गई है।

(घ) और (ङ): प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के समय किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, खरीफ 2016 सीज़न से देश में उपज सूचकांक आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम सूचकांक आधारित रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेन्स स्कीम नामक एक केंद्रीय

क्षेत्रक योजना शुरू की गई है। यह एक मांग-आधारित योजना है और खरीफ 2020 सीज़न से किसानों को प्रीमियम सब्सिडी पर वित्तीय दायित्व केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में और पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। यह योजना शुरू से ही राज्यों के लिए स्वैच्छिक है और खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुवाई-पूर्व से कटाई के बाद तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, टाईफ़ून, टेम्पेस्ट, हूरीकेन, बवंडर आदि जैसे गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों/और प्रतिकूल जलवायु आपदाओं के कारण व्यापक उपज हानि से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आग) और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा प्रिवेंटेड बुवाई के कारण फसल के बाद होने वाली हानि के कारण फार्म लेवल पर उपज हानि से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

*****